अखिल भारतीय वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी और लेखापरीक्षा अधिकारी संघ के पदाधिकारियों की उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ
दिनांक 11.12.2017 को 3:00 बजे अपराह्न में आयोजित
बैठक की चर्चा का रिकॉर्ड नोट

1. अखिल भारतीय वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी और लेखापरीक्षा अधिकारी संघ के पदाधिकारियों की उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ दिनांक 11.12.2017 को 3:00 बजे अपराह्न, कमरा संख्या 510 में बैठक आयोजित की गई थी।

2. शुरू में, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने संघ के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और आशा व्यक्त की, कि आगामी चर्चा लाभदायक और रचनात्मक होगी।

3. उसके बाद छह एजेंडा मदों पर चर्चा शुरू की गई।

अनुबन्ध-क

अखिल भारतीय वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी और लेखापरीक्षा अधिकारी संघ के पदाधिकारियों की उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ दिनांक 11.12.2017 को 3:00 बजे अपराह्न में आयोजित बैठक में उपस्थित भागीदारों की सूची

सर्व श्री/सुश्री

रीता मित्रा	उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
खालिद बिन ज़माल	प्रधान निदेशक (स्टाफ)
वी.एस. वेकंटनाथन	सहायक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एन)
प्रेम कुमार जारूहार	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/जेसीएम
हरीश खुराना	संघ के अध्यक्ष
बलजीत सिंह मुलतानी	संघ के उपाध्यक्ष
देबनंदा पट्नायक	संघ के महासचिव
हिमांशु कुमार	संघ के सहायक-महासचिव (वित्त)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और लेखापरीक्षा अधिकारियों के अखिल भारतीय संघ की मांग प्रतिक्रिया विवरण

मांग सं.1: वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/लेखापरीक्षा अधिकारियों के संवर्ग की संवर्ग समीक्षा सहित1.1.2006 से पूर्व संशोधित वेतनमान में उचित वेतन और परिणामी पदोन्नति ।

स्पष्टीकरण:

विभाग के अन्दर और भारत सरकार के अन्य विभागों में अधीनस्थ अधिकारियों की पदोन्नति को ध्यान में रखते हुए 01.01.1996 से 31.12.2005 तक लेखापरीक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए क्रमश: ₹10,000-15,200+400 विशेष वेतन और ₹12,000-16, 500+500 विशेष वेतन की तत्काल मंजूरी।

आगे यह बताया गया कि छठवें सीपीसी द्वारा पूर्व संशोधित वेतनमान में अधीनस्थ अधिकारियों को दो बार पदोन्नति का लाभ प्राप्त हुआ था लेकिन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी को पूर्व संशोधित वेतनमान में कोई पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई थी। संघ ने ₹7600 के ग्रेड वेतन के साथ पूर्व संशोधित वेतन मान में कम से कम दो बार पदोन्नति देने का अनुरोध किया था। इसी प्रकार यह अनुरोध किया गया था कि लेखापरीक्षा अधिकारी को कार्य धारिता के आधार पर ₹6600/- के ग्रेड वेतन के साथ पीबी-3 में रखा जाना चाहिए।

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 11.62.20 के अनुसार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और आईए एण्ड एएस के प्रवेश स्तर दोनो का पीबी-3, ग्रेड वेतन ₹5400 है। वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के वेतनमान में वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है जो आईए एण्ड एएस के लिए भरण संवर्ग है। सिफारिशों को देखने से यह प्रतीत होता है कि वेतन आयोग के अनुसार , वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों का संवर्ग आईए एण्ड एएस के लिए भरण संवर्ग है और इसलिए वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी संवर्ग का ग्रेड वेतन बढ़ाया नहीं जा सकता है। संघ ने सुझाव दिया कि यद्यपि आईएस एण्ड एएस में 33% भरती वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी संवर्ग से है, परन्तुयह भरती पॉच प्रतिशत तक कम है। मुख्य मुद्दे लेखापरीक्षा अधिकारियों/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों के रूप में पॉच वर्षों की संयुक्त सेवा और 53 वर्षों की आयु सीमा है। इस प्रकार के प्रतिबंध केवल आईए एण्ड एडी में है जिसमें एक अधिकारी को 53 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आईए एण्ड एएस में प्रवेश से रोका जाता है। संघ ने उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से अनुरोध किया कि मामले को पुन: देखा जाये

और इस संवर्ग की वित्तीय पदोन्नति के लिए नए तरीकों से काम किया जाये। उनके द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही का सुझाव दिया गया:-

- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/लेखापरीक्षा अधिकारियों को गैर आईए एण्ड एएस संवर्ग में उनकी सेवा की अवधि के आधार पर वरिष्ठ समय मान में ₹6600/-, ₹7600/- और ₹8700 के ग्रेड वेतन के साथ पदोन्नति प्रदान की जाय। यदि कुछ अधिकारियों को आईए एण्ड एएस में इंडक्शन के लिए एक अवसर प्राप्त होता है, तो उन्हें पहले उनका प्रत्यावर्तन प्राप्त करना चाहिए और उसके बाद आईए एण्ड एएस संवर्ग में शामिल होना चाहिए। वरिष्ठ आशुलिपिक के मामले में वरिष्ठ समय मान में ऐसा होता है, जो जब एसएएस पास करता है तो उसे वरिष्ठ समय मान में सहायक लेखापरीक्षा का पद ग्रहण करने से पहले प्रत्यावर्तन प्राप्त करना पड़ता है। इससे इस संवर्ग में लम्बी अवधि से लम्बित पदोन्नति के मामले का निपटान करने में सहायता मिलेगी।

मांग के संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया:

7वें सीपीसी को प्रस्ताव भेजते समयलेखापरीक्षा अधिकारियों /वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए उच्च वेतन मान देने की सिफारिश की गई थी। इसको विचार विमर्श के लिए सचिवो की समिति को दोहराया गया था। तथापि, सरकार ने आईएएण्डएडी में सभी संवर्गो के लिए केवल प्रतिस्थापित वेतन मानो कोमंजूर किया था। डीएआई द्वारा यह बताया गया कि इस स्तर पर सरकार के साथ दोबारा वेतन मानो के उन्नयन को उठाना उपयुक्त नहीं हो सकता।

डीएआई, गैर आईएएण्डएएस संवर्ग बनाने की संभावना का पता लगाने के लिए सहमत हो गई। संघ से इस संबंध में व्यवहार्य प्रस्ताव प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था।

मांग संख्या 2: ग्रुप ए पद की सभी सुविधाओं को उचित अधिसूचना से वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को दिया जाना तथा लेखापरीक्षा अधिकारियों को पे बेंड-3 में रखकर ग्रुप ए पद देना।

स्पष्टीकरण:

सीएजी की सहमति से भारत सरकार ने दिनांक 09.04.2009 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा ग्रेड पे ₹ 5400 वाले केन्द्रीय सिविल पदों को ग्रुप 'ए' के रूप में पे बेंड-3 में वर्गीकृत किया। दिनांक 17.04.2009 के डीओपीटी ओएम संख्या 11012/7/2008-स्था. (ए) डीओपीटी के पैरा 4 के अनुसार, ग्रुप 'ए' के रूप में एसएओ के पद के वर्गीकरण के लिए औचित्य के साथ प्रस्ताव ओएम जारी होने से तीन माह के अन्दर सीएजी द्वारा डीओपीटी को भेजा जाना था। सीएजी ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है।

दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने 17.09.2013 को अपना निर्णय सुनाया तथा यह निर्णय दिया कि एसएओ लागू नियमों के तहत यथा अधिदेशित ग्रेड 'ए' अधिकारी है। संबंधित प्राधिकरण द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

चूंकि माननीय न्यायालय के निर्णय में समय लग सकता है अत: संघ इस मामले को संघ की मांग संख्या 1 के साथ उठाने की मांग करता है।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:

चूंकि मामला विचाराधीन है अत: हम भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आने का इंतजार कर सकते हैं।

मामले को समाप्त माना जाए।

मांग संख्या 3: वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों की आगे पदोन्नति के लिए आयु सीमा हटाना।

स्पष्टीकरण:

आयु के आधार पर अपात्रता तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सेवा का कार्यकाल बढ़ने के साथ व्यक्ति की उपयुक्तता बढ़ती है। गलत पात्रता मानदण्ड को हटाया जाना चाहिए तथा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को उनकी आयु पर विचार किए बिना योग्यता एवं क्षमता के आधार पर पदोन्नति दी जाए।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:

यह सूचित किया गया कि विभाग की कैरियर प्रगति तथा कार्यात्मक आवश्यकताओं में संतुलन रखने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, आयुसीमा को 53 से 55 तक बढ़ाने का प्रस्ताव अग्रिम चरण में है। प्रस्ताव में कोई अन्य संशोधन वर्तमान प्रस्ताव में और विलम्ब करेगा। इसीलिए, इस चरण में आयुसीमा में वृद्धि पर विचार करना व्यवहार्य नहीं है।

मामले को समाप्त माना जाए।

मांग सं. 4: प्रस्तावित भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा नियमावली 2016

स्पष्टीकरण:

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली 2002 के साथ भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (भर्ती) नियमावली 2016 की तुलना से पता चला कि जेटीएस (पीबी-10, तत्कालीन जीपी 5400) तथा एसटीएस पर लेवल 11, तत्कालीन जीपी-6600 में संस्वीकृत कर्मचारी संख्या, जोकि वर्ष 2002 में 436 (जेटीएस 164, एसटीएस 272) थी, को वर्ष 2016 में 353 (जेटीएस 127 एसटीएस 226) तक कम कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप जेटीएस तथा एसटीएस में 83 पदों की कुल कमी हुई। इन पदों को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। यह सूचना दी गई कि जेटीएस तथा एसटीएस के स्तर में 83 पदों की कमी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्चतर स्तरों (अर्थात डीएआई, एडीएआई, पीएजी एसएजी तथा जेएजी) पर पदों के सृजन, अपग्रेडेशन आदि के कारण थी। इसके अलावा, विभाग रिक्ति आधारित भर्ती प्रणाली के अनुपालन के लिए जेटीएस में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए मौजूदा पदोन्नति कोटा को 33.33% से 50% तक बढ़ाएगा।

रिक्ति आधारित भर्ती प्रणाली में बदलने पर संघ के साथ कभी चर्चा नहीं की गई। इस पर वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हमारा संवर्ग भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा में प्रवेश हेतु अवसर न चूके।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा में पद आधारित से रिक्ति आधारित प्रवेश में परिवर्तन डीओपीटी ओएम 19.01.2007 के आधार पर किया गया था। तथापि, पद आधारित से रिक्ति आधारित प्रवेश में परिवर्तन के मद्देनजर संघ से भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा में प्रवेश पाने वाले वरि.एओज की संख्या में कमी के संबंध में अपनी आशंका के ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया था।

मांग सं. 5: राजस्व लेखापरीक्षा-परीक्षा में नकारात्मक अंकन को हटाना तथा सीपीडी के विभिन्न चरणों के बीच समय अंतराल को हटाना।

स्पष्टीकरण :

संघ ने राजस्व लेखापरीक्षा-परीक्षा में नकारात्मक अंकन को हटाने तथा निरंतर व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के विभिन्न चरणों के बीच समय अंतराल को हटाने की मांग पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया था यदि अधिकारी में एक से अधिक सीपीडी पास करने की योग्यता है तो उसके ज्ञान का लाभ अंतत: संगठन को प्राप्त होगा।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:

संघ को अवगत कराया गया कि सीपीडी परीक्षाओं के बीच अंतराल को पहले ही 5-4-3 से घटाकर 4-3-2 कर दिया गया है। नकारात्मक अंकन को हटाने के संदर्भ में मामले पर विस्तार से चर्चा की गई थी तथा सीपीडी परीक्षा में नकारात्मक अंकन बनाए रखने का निर्णय किया गया है।

मामले को समाप्त समझा जाए।

मांग सं. 6: लेखापरीक्षा पुनर्गठन एक समान नीति का कार्यान्वयन न करना:महाराष्ट्र राज्य

स्पष्टीकरण:

सीएजी के आदेशानुसार सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों के क्षेत्रीय प्रभाग ने अधिकांश लेखापरीक्षा कार्यालयों में इसे 01.04.2012 से कार्यान्वित कर दिया था लेकिन महाराष्ट्र में यथास्थिति बनी हुई थी। इस कारण महाराष्ट्र राज्य विशेषकर नागपुर कार्यालय के अधिकारियों के बीच नाराजगी उत्पन्न हुई। इस आधार पर, जितना शीघ्र हो सके इसे पूर्ण क्षेत्रीय प्रभाग, किये जाने का आदेश दिया जाना चाहिए। बेहतर परिणाम और सार्वजनिक हित के लिए मुबंई और नागपुर के प्रत्येक म.ले/प्र.म.ले. को स्वतंत्र रूप से क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

मांग के प्रति अधिकारिक प्रतिक्रिया:

संघ को, मुंबई और नागपुर में स्थानीय संघों के साथ परामर्श से वर्तमान स्थिति के आकलन की सलाह दी गई थी।